लोक शिक्षण संचालनालय,मध्यप्रदेश

गौतमनगर भोपाल–462021

दूरभाष : 91–755–2583650,फेक्सः 2583651,ई–मेल dpividhya@gmail.com

क्रमांक / विद्या / डी / नि:पा.पु. / 2018–19 / 1706 भोपाल, दिनांक 28.05.2018

प्रति,

समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश.

विषय :– शिक्षण सत्र 2018–19 में निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक वितरण योजना अंतर्गत प्रदेश के शासकीय हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में (कक्षा 9वीं से 12वीं) हेतु निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का वितरण के संबंध में दिशा–निर्देश।

—00—

निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक वितरण योजना म.प्र. शासन की एक महत्वपूर्ण एवं लोक कल्याणकारी योजना है। योजना अंतर्गत प्रदेश के समस्त शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक, अध्ययनरत् समस्त वर्ग के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तके उपलब्ध कराई जाती है। अध्ययन–अध्यापन व्यवस्था तथा शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से समय–सीमा में छात्र–छात्राओं को पाठय पुस्तकें उपलब्ध कराया जाना योजना का मुख्य उद्देश्य है।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की पाठ्य पुस्तक निगम से प्राप्ति, छात्र–छात्राओं को वितरण एवं गतवर्ष की शेष बची पुस्तकों का लेखा–जोखा रखा जाकर समस्त हितग्राही छात्र–छात्राओं को पाठयपुस्तकें नियत समय पर उपलब्ध हो इस हेतु, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण तक की समस्त गतिविधियॉ समय पर सम्पन्न कराई जाएं।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के जिला स्तर पर जिला कलेक्टर प्रमुख होंगे, जिला शिक्षा अधिकारी जिले के, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड के एवं विद्यालय स्तर पर संस्था के प्राचार्य नोडल अधिकारी होगें, जो निर्धारित समय–सीमा में छात्र–छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी योजना के क्रियान्वयन की मानिटरिंग करेंगे एवं समय–समय पर प्रगति की समीक्षा कर पाठयपुस्तक वितरण की स्थिति से लोक शिक्षण संचालनालय को अवगत करायेंगे।

1.मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा पुस्तकों का प्रदाय :–

शैक्षणिक सत्र 2018–19 हेतु जिलों से ऑन लाइन की गई मॉग के अनुसार निगम से पुस्तकों का मुद्रण कराया गया है,जितनी मॉग आपके द्वारा की गई थी तद्नुसार निगम द्वारा पाठयपुस्तकें उनके क्षेत्रीय डिपों से सीधे विकास खण्ड स्तर पर प्रदाय की जायेंगी। मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय डिपों कार्यालय से विकास खण्ड स्तर तक पुस्तकों का परिवहन पूर्व वर्षों की प्रक्रिया अनुसार निगम द्वारा ही वहन किया जायेगा। इस हेतु समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी निगम के क्षेत्रीय डिपो से सतत् संपर्क में रहकर जिला स्तर से उनके विकास खण्ड हेतु की गई पाठ्य पुस्तकों की मॉग अनुसार पुस्तकें प्राप्त करेंगे।

2.–विकास खण्ड स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का भण्डारण :– विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा विकासखण्ड स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का भण्डारण/संधारण विकास खण्ड मुख्यालय के शासकीय विद्यालयों के सुरक्षित भवनों में कक्षावार, माध्यमवार एवं विषयवार किया जायेगा। इसका समुचित अभिलेख यथा पाठ्य पुस्तक निगम डिपो से प्राप्त चालान, जिला स्तर से की गई मॉग अनुसार पुस्तकों की प्राप्ति एवं वितरण की जानकारी विकास खण्ड स्तर पर ही संधारित की जाये।जिन जिलों में आदिवासी विकासखण्ड शामिल है, उनमें आदिम जाति

कल्याण विभाग के ज़िला/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों का योजना के क्रियान्वयन हेतु सहयोग लिया जाये।

<u>3–पाठ्य पुस्तकों की वितरण व्यवस्था</u> :– विकास खण्ड स्तर से विद्यालय स्तर पर पुस्तकें समय–सीमा में पहुंच जाए, इस हेतु क्षेत्रातंर्गत सभी विद्यालयों की एक बैठक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी आयोजित करें, जिसमें संबंधित शाला प्रभारी/प्राचार्य/पाठ्यपुस्तक प्रभारी उपस्थित होगें। निगम से प्राप्त होने वाली पुस्तकें तथा क्रय की जाने वाली पुस्तकों के संबंध में रणनीति पर विचार किया जायेगा।

3.1 विकास खण्ड स्तर से जब विद्यालयों के लिए पुस्तकों का प्रदाय किया जाए तब प्राचार्य या उनके प्रतिनिधि उस वाहन के साथ जायेंगे जिससे पुस्तकें विद्यालय को भेजी जा रही है। विकास खण्ड स्तर से विद्यालय तक पाठ्य पुस्तक पहुंचाने हेतु व्यय, स्कूल कंटेंजेंसी मद से पूर्व वर्षों की भाँति किया जायेगा।

3.2 छात्र–छात्राओं को पुस्तकों का वितरण क्षेत्र के प्रभारी मंत्री, माननीय सांसद/विधायक, जिला/जनपद पंचायत के अध्यक्ष/सरपंच एवं जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उनकी सहभागिता में/पालक शिक्षकों की बैठक या प्रवेश उत्सव समारोह आयोजित कर, निर्धारित समय अवधि में सुनिश्चित किया जाये।

3.3 **पाठ्य पुस्तकें वितरण किये जाने के उपरांत छात्र–छात्राओं को वितरित की गई पाठय पुस्तकों की जानकारी संबंधित प्राचार्य द्वारा अपने लॉग इन आई डी से विमर्श पोर्टल पर दर्ज की जाए। इस जानकारी का मिलान जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं इसमें यदि किसी प्रकार की विसंगति या त्रुटि है तो उसे सुधार कर जिले की संकलित जानकारी विमर्श पोर्टल पर अपने लॉग इन से प्रेषित की जाएंगी।**

4. <u>कक्षा 11 एवं 12 वीं की मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित न की जाने वाली पुस्तकों का प्राचार्यो द्वारा स्थानीय स्तर पर क्रय किया जानाः–</u>

4.1 संस्था प्राचार्य द्वारा कक्षा 11 एवं 12 वीं की कला, कृषि, वाणिज्य, गृह विज्ञान आदि की ऐसी पुस्तकें जो निगम द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है, उन्हें स्थानीय स्तर पर छात्र–छात्राओं की संख्या अनुसार क्रय की जाकर छात्र–छात्राओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

4.2 जिला शिक्षा अधिकारी जिले के समस्त प्राचार्यो की बैठक कर कक्षा 11 एवं 12 वीं की कला,कृषि,वाणिज्य,गृह विज्ञान आदि की ऐसी पुस्तकें जो संस्था प्राचार्यो द्वारा स्थानीय स्तर पर क्रय की गई है, उन पर व्यय राशि की माँग प्राचार्यो से बैठक के दौरान प्राप्त करेंगे।

4.3 समस्त प्राचार्यो से माँग प्राप्त होने के पश्चात जिले की कुल आवश्यकता अनुसार पुस्तकों के क्रय की लागत राशि की मॉग जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परिशिष्ट–एक अनुसार निर्धारित अवधि में लोक शिक्षण संचालनालय को उपलब्ध कराई जायेगी। तत्पश्चात उक्त राशि की प्रतिपूर्ति हेतु आबंटन जारी किया जायेगा। निर्धारित समय अवधि में अपेक्षित राशि का मॉग पत्र प्राप्त न होने पर प्रति पूर्ति की जाना संभव नहीं होगा।

5. शैक्षणिक सत्र 2018–19 में पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा जिलों को उपलब्ध कराई गई पाठयपुस्तकों एवं प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर क्रय की गई पुस्तकों का शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राओं को पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई है, ओर कोई छात्र–छात्रा निःशुल्क पाठयपुस्तक से वंचित नहीं है,

इस आशय का प्रमाण–पत्र **परिशिष्ट–2 अनुसार** जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाये। स्थानीय स्तर पर क्रय की गई पुस्तकों की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु संचालनालय से आवंटित की गई राशि के आहरण पश्यात उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

राज्य एवं केन्द्र के पाठ्यक्रम में एकरूपता हो इस हेतु राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 23.11.2016 द्वारा राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों को राज्य में अभिग्रहीत किये जाने के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार प्रदेश में शिक्षा सत्र 2017–18 से कक्षा 9वीं में विज्ञान एवं गणित, कक्षा 11वीं में **जीव विज्ञान** की– रसायन भाग–1, रसायन भाग–2 गणित, भौतिकी भाग–1 भौतिकी भाग–2 एवं **कॉमर्स संकाय** में– व्यवसाय अध्ययन, लेखाशास्त्र वित्तीय लेखांकन भाग–1, लेखा शास्त्र वित्तीय लेखांकन भाग–2, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, भारती अर्थ शास्त्र का विकास पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध करायी गई है। इस सत्र में कक्षा 12 की उपरोक्त पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के समस्त वर्ग के छात्र–छात्राओं हेतु राज्य शासन की लोक कल्याणकारी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना अन्तर्गत शत प्रतिशत निःशुल्क पाठपुस्तकों का प्रदाय किया जाकर समस्त हित ग्राही छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक/विद्या/डी/निःपा.पु./2018–19/ 1707 भोपाल, दिनांक 28.05.2018

प्रतिलिपि : –

1. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल।
3. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
4. समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक, लोकशिक्षण संभाग, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि संभाग अन्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना की डिपोवार/जिलावार प्रभावी मॉनीटरिंग की जाये तथा दैनिक प्रतिवेदन भिजवाना सुनिश्चित किया जाये।
5. सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास, समस्त जिला, मध्यप्रदेश।
6. समस्त, प्राचार्य, शास0 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/हाईस्कूल, मध्यप्रदेश।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश